प्रेस विज्ञप्ति

बिहार सरकार

स्वास्थ्य (चि0शि0 एवं दे0चि0) विभाग

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के संबंध में।

(केवल बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए)

राज्य के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जिन्हें संबंधित विषयों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विषयों में ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	प्रतिनियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता
1	एनाटॉमी	ट्यूटर	एम.एस. एनाटॉमी
2	फिजियोलॉजी 1 एकल शैक्षणिक पद	ट्यूटर लेक्चरर वायोफिजिक्स	एम0डी0 फिजियोलॉजी एम0डी0 बायोफिजिक्स/फिजियोलॉजी
3	बायोकेमिस्ट्री	ट्यूटर	एम.डी. बायोकेमिस्ट्री
4	पैथोलॉजी	ट्यूटर	एम.डी. पैथोलॉजी
5	माइक्रोबायोलॉजी	ट्यूटर	एम.डी. माईक्रोबायोलॉजी
6	फार्माकोलॉजी	ट्यूटर	एम.डी. फार्माकोलॉजी
7	एफ.एम.टी.	ट्यूटर	एम.डी. फोरेसिंक मेडिसीन
8	ओषधि	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.डी. औषधि (केवल आरक्षित वर्ग के लिए)
9	टी.बी. चेस्ट	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.डी. औषधि + डी.टी.सी.डी.
10	चर्म एवं रति रोग विभाग	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.डी. चर्म एवं रति रोग
11	सर्जरी विभाग	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.एस. सर्जरी (केवल आरक्षित वर्ग के लिए)
12	हड्डी रोग विभाग	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.एस. हड्डी रोग
13	स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.एस./एम.डी. स्त्री एवं प्रसव रोग (केवल आरक्षित वर्ग के लिए)
14	मनोरोग	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.डी. मनोरोग
15	रेडियोलॉजी	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.डी. रेडियालॉजी
16	निश्चेतना	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.एस./एम.डी. निश्चेतना
17	पी.एम.आर.	सीनियर रेजिडेन्ट	एस.एस. आर्थोपिडिक्स/ डी.एन.बी., पी.एम.आर.
18	न्यूरो सर्जरी	सीनियर रेजिडेन्ट	एम.सी.एच. न्यूरो सर्जरी

(ii) संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें :–

1 यह पैनल 2008-09 वित्तीय वर्ष के लिए होगा ।

2 इस पैनल से संविदा मात्र एक वर्ष के लिए होगी तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर वे बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेगें ।

3 इन पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में जो वेतन मिल रहा है, वही वेतन मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते देय होगा,

4 संविदा के आधार पर की गयी सेवा सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी सेवा मानी जायगी ।

5 नियमावली -97 के प्रावधान तथा राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू अन्य प्रावधान इन पर यथावत् लागू होगें ।

6 संविदा के आधार पर की गयी सेवा के लिए चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगें ।

7 केवल उन्ही आवदकों के आवेदन पर विचार किया जायगा, जिसकी सेवा निवृति की तिथि 30.07.2009 के बाद होगी ।

8 जिन पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलंबित हो अथवा लम्बे अवकाश में हो, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायगा ।

9 आवेदन पत्र, नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित होना चाहिए ।

10 संविदा के आधार पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा । आवेदन के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेगें ।

(iii) आवेदन पत्र दिनांक 17.12.07 के अपराह्न 5.00 तक प्राप्त किए जायेगें। आवेदन पत्र, स्वास्थ्य विभाग (विकास भवन, पटना) के वितरण शाखा में प्राप्त किए जायेगें। निबंधित डाक से प्राप्त होने वाले उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होंगे ।

(iv) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(v) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का प्राथमिकता के अनुसार विकल्प नहीं दिया जायगा उन्हें किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

(vi) आवेदक से प्राप्त विकल्प पर उनकी वरीयता एवं रिक्ति कोटि के अनुसार विचारणी होगा।

नोट :– आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र का प्रारूप राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट www.shsbihar.org पर देखा जा सकता है एवं डाउनलोड (Download) कर उपयोग में लाया जा सकता है।

सरकार के उप–सचिव
स्वास्थ्य विभाग